न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/2452/2005/बून्दी

1 श्रीमती राजकुमारी पुत्री बृजकिशोर जाति ब्राहमण
2 राजेन्द्र किशोर पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहमण
3 नरेन्द्र कुमार पुत्र बृज किशोर जाति ब्राहमण सभी निवासीयान केशोरायपाटन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी

अपीलार्थीगण

बनाम

1 तहसीलदार, तहसील केशोरायपाटन
2 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः श्री एस.पी.ओझा वकील अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः..01.08.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 127/04 में पारित निर्णय दिनांक 15.3. 2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन के न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1629 रकबा 35 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किय कि उक्त विवादित आराजी पूर्व में सतानंद के खाते में अंकित थी किन्तु त्रुटिवश भू राजस्व अभिलेख में रमेश पुत्र नंदकिशोर के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता बृजकिशोर सन् 1946 से ही काबिज चले आ रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी एक वाद सहायक कलक्टर, बुन्दी द्वारा दिनांक 12.7.79 को निर्णय किया गया एवं अपीलार्थीगण के पिता को खातेदार माना गया। उक्त निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सीलिंग कार्यवाही में अधिग्रहित की गई है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अतः वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार कर वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 1.9.04 से खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.3.2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत बिना साक्ष्य सबूत लिये वाद खारिज नहीं किया जा सकता। सीलिंग कार्यवाही सतानंद के विरूद्ध चली जिसमें वर्तमान वादी अपीलार्थीगण अथवा उनके पिता बृजकिशोर को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे अपीलार्थीगण को उसकी जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण ने कोई तथ्य नहीं छीपाया है। वाद में साक्ष्य सबूत लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिये। पूर्व में प्रस्तुत वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किय गया था परन्तु जानकारी के अभाव में उसकी समयावधि निकल गई। वादीगण इसी मुगालते में रहे कि निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति हो गई होगई। सीलिंग का निर्णय अपीलार्थीगण पर लागू नहीं है जिससे वे बाध्य नहीं है। यदि पूर्व न्याय का बिन्दु भी तर्क के लिए था तो वह भी तकनी बनाकर ही निर्णित किया जाना विधितः उचित रहता है। इस तरह से आदेश 7 नियम 11 में वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति विधि एवं तथ्य की मिश्रित स्थिति रहती है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत अधिग्रहित की जाकर सिवायचक दर्ज की गई है। जिनमें संबंध में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया गया है जो न्यायोचित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वाद के माध्यम से सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय को चुनौति नहीं दी जा सकती। यदि अपीलार्थीगण सीलिंग निर्णय से प्रभावित हैं तो उस निर्णय के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिये थी। सीलिंग प्रकरकण में पारित निर्णय को इस दावे के माध्यम से चुनौति नहीं दी जा सकती। सीलिंग कार्यवाही चलना इनकी स्वीकारोक्ति है। इसी कारण पूर्व में कथित निर्णय की पालना नहीं करवाई/ नहीं की गई। सीलिंग की कार्यवाही चलकर निर्णित होकर उसके अनुसार नामान्तरकरण इनके द्वारा कथित पूर्व निर्णय से पहले हो चुका था। सीलिंग कार्यवाही चलना एवं उसका निर्णय व अमल इनके पूर्व वाद से पूर्व का है। वर्तमान अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 10.6.76 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रमेश किशोर आत्मज नन्द किशोर ब्रहामण के विरूद्व चली सीलिंग कार्यवाही में आराजी खसरा नम्बर 1629/1 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा व अन्य खसरा नम्बर 431, 1431/1, 1444/1 अधिग्रहित की जाकर सिवायचक दर्ज की गई हैं। वादी अपीलार्थी ने अपने वाद में इस तथ्य को छीपाया है तथा सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय व उसके विरूद्व की गई अपील आदि के बारे में नहीं बताया है। यह स्पष्ट है कि सीलिंग अधिनियम एक स्पेशल अधिनियम है तथा उसके अन्तर्गत पारित निर्णय को इस प्रकार घोषणात्मक वाद के माध्यम से चुनौति नहीं दी जा सकती। यह भी स्पष्ट है कि सीलिंग कार्यवाही रमेश किशोर के विरूद्व की गई है। रमेश किशोर असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहित किया गया है जिस पर वादी घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता।

7. वादी द्वारा पूर्व में वाद संख्या 211/76 प्रस्तुत किया जाना एवं वह वादी के पक्ष में डिक्री होना कथन किया गया है। परन्तु वादी द्वारा इसके समर्थन में उक्त वाद व उसमें पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं। वैसे भी किसी निर्णय व डिक्री की पालना 12 वर्ष की निर्धारित अवधि में नहीं कराये जाने पर वह प्रभावहीन हो जाता है। उसकी पालना हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका युक्तियुक्त विधि समुचित/समर्थित कथन वादी/अपीलार्थी नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी का यह कथन अधिक बल पकडता है कि प्रकरण सीलिंग से बाधित होने से पालना नहीं कराई, नहीं की गई। ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित निर्णय का लाभ वर्तमान वाद में वादी अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाना न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 15.3.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य